संख्या-I/1214202/2026/ मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2025-ई-1837382

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक-22-01-2026

विषय:-मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/1386/29(2)-यू0सी0/2024-25, दिनांक-26.11.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विस्तारित नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद- मुजफ्फरनगर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों के अद्यतन फोटोग्राफ्स्, समिति की निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद- मुजफ्फरनगर को शासनादेश संख्या-36/24/317मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2024-ई-1837382, दिनांक-06.08.2024 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त के उपभोग के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से तालिका में उल्लिखित 24 कार्यों की अवशेष द्वितीय किश्त की **कुल धनराशि रू0 94.612 लाख (रू0 चौरान्नबे लाख इकसठ हजार दो सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष् अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त की धनराशि का विवरण	अवमुक्त की जा रही द्वितीय/अन्तिम किश्त की धन राशि
1	2	3	4	5
1	वहलना में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य।	8.022	4.011	1.684
2	कूकडा में गौशाला पार्क में ओपन जिम स्थापित करने का कार्य।	8.022	4.011	1.604
3	वार्ड नं0 04 मीरापुर स्थित रामेश्वर के मकान के सामने पार्क में ओपन जिम, झूला एंव बैंच स्थापित करने का कार्य।	6.995	3.498	1.538
4	वार्ड नं0 01 कमलनगर स्थित सौम्या मैडिकल से बिजेन्द्र के मकान तक, लोकेश पटवारी से पवन के मकान तक एंव चौहल सिंह से राजेन्द्र के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	13.812	6.906	3.617
	वार्ड नं0 01 अमित बिहार में डॉ0 हरेन्द्र से			

5	बिजेन्द्र प्रजापति के मकान तक एव कृष्णपाल प्रजापति से जंग बहादुर के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	32.524	16.262	6.407
6	वार्ड नं0 22 मौहल्ला शान्तिनगर स्थित राजबीर सिंह के मकान से करमजीत के मकान तक सी0सी0 सडक, साईड पटरी इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	17.432	8.716	3.645
7	वार्ड नं0 19 शामली रोड स्थित डॉ0 प्रवीण के मकान से अर्जुन की चक्की तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	23.511	11.756	5.818
8	वार्ड नं0 04 वहलना स्थित शैकी के मकान से जैन मन्दिर के बिछले वाले गेट तक एंव श्री मनोज से रविदास मन्दिर तक एंव माता के स्थान से प्रमोद तक तथा लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	10.487	5.244	2.530
9	वार्ड नं0 04 वहलना स्थित श्री आशीष प्रधान के मकान से श्री भीमसिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	8.718	4.359	2.876
10	वार्ड नं0 01 अमित बिहार स्थित ओमपाल से ऋषिपाल के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	23.765	11.883	5.510
11	वार्ड नं0 35 सुभाषनगर स्थित किशन लाल से कटार सिंह के मकान तक एंव लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	34.022	17.011	6.702
12	वार्ड नं0 41 मौ0 आदर्श कॉलोनी स्थित सुधाकर के मकान से नरेन्द्र गुप्ता के मकान तक एंव लिंक गली में अमन सिंह से प्रेमदत्त वशिष्ठ के मकान तक तथा रामपाल सिंह वाली गली में आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	23.454	11.727	5.804
13	वार्ड नं0 31 लाल बाग स्थित डॉ0 आर0एस0 राठी वाली गली में सक्षम प्रोविजन स्टोर से सुरेश शर्मा के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	10.925	5.463	2.041
14	वार्ड नं0 15 एकता बिहार श्री संजीव शर्मा लेखपाल वाली गली में पहल सिंह के मकान से मन्दिर तक आर0सी0सी0 एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	14.998	7.499	2.713
15	वार्ड नं0 30 गांधीनगर स्थित सतपाल के मकान से श्री अरूण कुमार के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	11.571	5.786	2.486
	वार्ड नं0 15 उत्तरी रामपुरी स्थित श्री यादे प्रजापति कल्याण समिति वाली गली में मनीष के मकान से सुभाष त्यागी एंव मामचन्द के मकान			

16	तक आर0सी0सी0 नाली एवं सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	9.980	4.990	2.864
17	वार्ड नं0 02 सहावली स्थित जयपाल के मकान से राजबीर के मकान तक एंव क्रम सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	21.514	10.757	4.774
18	वार्ड नं0 04 मीरापुर स्थित पंचायत घर से हंसराज के घेर की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	8.147	4.074	1.823
19	वार्ड नं0 46 कुंगर पट्टी स्थित शिव मन्दिर से मुकेश के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	7.864	3.932	3.065
20	वार्ड नं0 46 कुंगर पट्टी स्थित इंदर से सुशील तक, कालू सुभाष से महावीर तक, मुंशी से सेवक तक, बिजेन्द्र से पवन के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	15.255	7.628	3.584
21	वार्ड नं0 29 अमर कॉलोनी स्थित राजकुमार से रमेश के मकान तक एंव मैरिज हॉल तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	6.898	3.449	1.937
22	वार्ड नं0 03 खेडा पट्टी स्थित कुरराडियों वाली मस्जिद से इस्तकार के मकान तक एंव आशू डेरी तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	26.885	13.443	8.922
23	वार्ड नं0 05 कूकडा स्थित दरियावली में अतर सिंह से प्रवेश सैन के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	33.375	16.688	6.220
24	वार्ड नं0 05 कूकडा स्थित दरियावली में शीशपाल से संजीव तक एंव महेन्द्र सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाल एंव सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	34.599	17.300	6.448
	योग	**412.775**	**206.393**	**94.612**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-</u>

1. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकाय को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
2. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
3. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
5. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
6. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

7. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
8. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
10. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
11. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
12. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
13. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
14. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
15. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।
16. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय को उपलब्ध करायी जाये।
17. निर्गत की जा रही धनराशि से निकाय द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
18. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।
19. निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 94,61,200.00 (रुपये चौरानबे लाख इकसठ हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037 लेखा**

शीर्षक 2217801920300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 22-01-2026
18:36:55

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक-तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
(7) जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
(8) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(9) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(11) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, विस्तारित नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर।
(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।